	र व	शसगढ़	राजषत्र, दिनाक 14 न	विस्वर 2014				
F				आरक्षित	गन्ने का	क्षेत्रफल (हे	0) में	
गना क्रय हेन्द्र का नाम	विकास खण्ड का नाम		क्षेत करने वाले गामों के नाम	ग्रामों से कारखाने की दूरी	पेड़ी	पौधा	कुल योग	
-	अस्बिकापुर	4	ससकालो	50	2.028	0.520	2.548	
(पम्यापुर)			पम्पापुर	54	7.787	0.000	7.787	
la. 41.7.1		3	नवानगर	55	21.193	0.767	21,960	
			4	छिन्दकालो :	44	0.268	0.000	0.268
			o V	5	खजुरी	50	2.470	3.320
		1	कर्रा(पाटीपारा)	68	4.959	3.442	8,401	
		1	यो	q	38.705	8.049	46.754	
	4.0		Oring	69	10.21	7.195	17.405	
खजुरी	बतौली	1	चिरंगा	58	2.626	0.515	3.14	
(बन्पापुर)	ापुर) (जिला-सरगुजा)	3		65	3.353	4.708	8.06	
			मांजा यो		16.189	12.418	28.60	
			कल	योग	54.894	20.467	75.36	

कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी (छत्तीसगढ़)

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक/528/2014.—यत: छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है.

2. अतूएव छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्तवा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अरितत्व में नहीं होने कारण, एतदद्वारा, विलोपित करता हूं.

अनुसूची

яī.	राजस्य ग्राम	ग्राम का कुल	पटलारी	ग्राम पंचायत का पाम	^र तहसीलं	বিলা
(1)	का नाग (2)	रक्षा (3)	े हल्का नंबर (4)	(5)	(6)	(7)
1.	बोईरगांव	260.511 है.	32	मेचका	नगरी	चमतर <u>ी</u>

क्रमांक / 529 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपदित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां सहपदित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां

अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया ह।

02/ अतएव फत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शिकायों को 02/ अतएव फत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शिकायों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्तवा के बांध के डूब में समाहित होने के प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद हारा, विलोपित कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद हारा, विलोपित

अनूसूची

			पटवारी हल्का	ग्राम् पंचायत	तहसील	जिला
क्रि.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	नंबर	का नाम	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	26	बांसपानी	नगरी	धमतरी
01	सोनपुर	386.20 एकड़				

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूंबर 2014

क्रमांक / 530 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्वं विभाग के अधिसूचना क्र.हुएफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घारा 90 सहपित घारा 78 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां सहपित घारा 78 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां

अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया ह।

102 / अतएव कर्तीसगढ़ मू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रवत्त शवितयों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्तबा के बांध के दूब में रामाहित होने के प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोधित कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित सजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोधित करता हूं:

White	ग्राम का कुल	पटवारी हल्का	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला
क्र. राजस्व ग्राम का नाम	एकबा	नंबर (4)	का नाम (5)	(6)	(७) धमतरी
(1) (2) 01 देवखुट	1074.00 एकड	25	बार्सपानी	नगरी	

धमतरी, दिनाक 14 अवद्वर 2014

क्रमीक / 551 / 2014. – यता छत्तीसगढ़ शासन, राजरव विभाग के अधिमृतना क्र. एफ - 4 - 137 / शात - 1 / 2013 दिनांक 01 - 01 - 2014 के माध्यम से छत्तीरागढ़ भू - राजरद राहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपृतित भारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोधन करने संबंधी बंदाबरत अधिकारियों की शक्तियां अधीहरतक्षारकतों में निहित किया गया है।

02/ अंतएव छत्तीशगढ भू—राजरंव सहिता 1959 (क्रगांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रवस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्ष्या के बांध के जूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजरंव ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

큙.	राजस्य ग्राम का	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील 🗵	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बनोरा (मा.गु.)	495.52 एकड़	24	बेलरगांव	नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 532 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहंपित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधिहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ मू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकंडा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

, अनूसूची

sh.	राजस्य ग्राम का	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्रेष्ट्रम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
741	(2)	(3)	(4)	(5),	. (6)	(7)
01	बेम (मा.ग्.)	464 00 एकड ,	24	वेलस्यांव	नगरी	धमतरी

क्रमांक / 533 / 2014. – यतः छत्तीसगढ शासन, राजस्य विमाग के अधिसूचना क्र. एफ – 4 – 137 / सात 2013 दिनाक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसमढ भू-राजरव संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा सहपितत घारा 73 के अंतर्गत राजस्य ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तिक अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, नीवे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकवा के बांघ के दूव में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्य ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता है।

अनूसूची,

).	पटवारी हल्का	ग्राम पंचायत	तहसील	जिला
क्र.	राजरव ग्राम का नाम	ग्राम का कुल एकबा	नंबर	का नाम (5)	(g)	(7)
(1)	(2)	(3) 129.66 एकड़	(4)	बेलरगाँव	नगरी	धमतरी
01	वेम (रैयत्)	129.00 (4.4				

धगतरी, दिनांक 14 अवदूबर 2014

क्रमांक / 534 / 2014. - बतः छल्तीसम्ब शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एक-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ मू-राजस्य संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्य ग्राम का विलोधन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तिय अभोहरताझरकर्ता में निहित किया भगा है।

अतपुर्व छट्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शतितथों व प्रयोग में लाते हुए, नीचे दक्षित अनुसूची के कॉलग (3) में दक्षित सम्पूर्ण रकका के बांघ के दूध में समाहित होने र कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम कों, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् हारा, विलोधि करता है।

	राजस्व ग्राम का	ग्राम का कूल	पटवारी हरका	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	জিলা
क्रा.	नाम	रकवा	नबर	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	वेलखाइरा	नगरी	धमतरी
ON	कसलोर	156.454 है.	32	111111111111111111111111111111111111111		

क्रमांक / 535 / 2014.—यतः क्रत्तीसगढ़ शासनः राजस्व दिभाग के अधिसूचना क्र. एक-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 रान 1959) की धारा 90 सहपित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधीहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीराष्ट्रह भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शिवतयों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलोधित करता हं।

अनुसूची

क्र. शनस्य ग्र	म का	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
7.5		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) (2) 01 दरपर	777	62.002 E	32	बेलस्वाहरा	. नगरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 536 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के साध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित क्लिंस 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का चिलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ मू-राजस्व संहिता 1859 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्तवा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता है।

अनुसूची

क्रा,	राजस्य ग्राम का	ग्राम का कुल रकवा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	द्राहसील	जिला
102	(2)	(3)	(4)	(5)	(e)	(7)
01	हे <u>पसरा</u>	629.72	31		धमतरी	FHUA

क्रमांक / 537 / 2014. – यतः छत्त्पीसगढ़ शासान, राजस्व विमाग के अधिसूचना क. एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनाक 01 01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व साथ का विलोपन करने संबंधी बदोबस्त अधिकारियों की रावित्तयां अधीहरताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02./ अतएव छत्तीसगढ़ भू राजस्य संहित। 1259 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलंग (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्तवा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलोपित करता हूँ।

अनूसूची

a . [राजस्य ग्राम का	ग्राम का कुल एकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(0)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
03	<u>वेमली</u>	377.77	31	=	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 538 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनुसूची

36	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल एकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	लमकनी	255.24	29	- 34	धमतरी	धमतरी

- क्रमांक / 539 / 2014. – यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूबना क्र. एफ – 4 – 137 / सात न 7 2013 दिनांक 01 – 01 – 2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू – राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धार 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों के धांकायां अधोहरताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छालीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रवत्त शवितयों वने प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित राम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में रामाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलागित करता हूं।

अनुसूची

郭.	राजस्य ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
10)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बसत	436,92	31		धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 540 / 2014. – यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विमाग के अधिसूचना क्र. एफ – 4 – 137 / सात – 1 / 2013 दिनांक 01 – 01 – 2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू – राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा ३० सहपठित धारा 🐞 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की राजिनयां अधोहर्साक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अत्तएव छत्तीसगढ भू-राजरव संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घास 73 द्वारा प्रदत्त शिवयों को प्रयोग में लावे हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलग (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकवा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालग (2) में दर्शित राजरव ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, दिलोपित करता हूं।

क्र.	राजस्व ग्राम का साम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	îŝ(e)!
61	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	भडपार	216.84	30	-	धमतरी	यमतरी

क्रमांक / 541 / 20,14.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क. एफ-4-137 / सात-1) 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपंठित धास 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधिकरतक्षतं में निहित किया गया है।

go

02/ अतएब छत्तीरागढ़ गू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रवत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलंम (3) में दर्शित राग्पूर्ण रक्तवा के बाध के डूब में रागाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण: एतद द्वारा, विलोपित कस्ता हूं।

अनुसूची

sb.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का चाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	कोरलमा	242.69	30	=	धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 542 / 2014. – यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ – 45 137 / सात – 1 / 2013 दिनांक 01 – 01 – 2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू – राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित श्वारा 78 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्व शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दिशेंत अनुसूची-के कॉलम (3) में दिशेंत सम्पूर्ण रकवा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दिशेंत राजस्य ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलोक्ति करता हूं।

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नवर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
01	कोकडी	350.87	30	V. =	धमतरी	धमतश

क्रमांक / 543 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ—4—137 / सात-1 / विनांक 01—01—2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने राबंधी बंदोबस्त अधिकास्यों की शक्तियां अधोहरताक्षरकर्ता में गिहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू—सजरव संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलग (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकवा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजरव ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित क्रेरक हूं।

अनूंसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
E/+1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	दरगहन	152,79	29		धमतरी	धमतरी

धमत्त्री, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 544 / 2014. – यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विमाग के अधिसूचना क्र. एफ – 4 – 137 / सात – 1 / 2013 दिनांक 01 – 01 – 2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू – राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपितत धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शिवतयां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएब छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की घारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के दूब में समाहित होने के छारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व प्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलोपित करेता हूं।

λb.	राजस्व ग्राम का	ग्राम का कुल स्कबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(n)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	बटरेल	238.68	28	-	धमतरी	धमतरी

क्रमांक / 545 / 2014, – यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 हारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्तवा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	खेरथा	310.41	28		धमतरी	धमतरी

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014.

क्रमांक / 546 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र. एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहरताहारकर्ता में निहित्त किया गया है।

02/ अत्तर्य छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में क्षातं हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकवा के बांध के दूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलोपित करता हूं।

अनूसूयी

ारव ग्राम का नाम	ग्राम का कुल एकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	िला
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(2)
यदर	690.29	26		धमतरी	धमतरी

547 / 2014. रातः छत्तीसगढ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचन। क्र. एफ-4-137 / सात-1 / क 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व सहिता 1959 (क्रमांक 20 रान 1959) की धारा 90 अत धारा 73 के अतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधिकारियों की शक्तियां

02/ अत्तर्य छत्तीसगढ़ भू शाजस्य संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रकबा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद द्वारा, विलोधित करता हूं।

अनूसूची

क्र.	राजस्व ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
/ 5	(0)	(9)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	37		धमतरी	धमतरी
01	चापगांव	448.70	26		वनारा	4 10 0

धमतरी, दिनांक 14 अक्टूबर 2014

क्रमांक / 548 / 2014.—यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के अधिसूचना क्र: एफ-4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 90 सहपित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का विलोपन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

02/ अतएव छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहित। 1959 (क्रमांक 20 रान् 1959) की घारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, नीचे दर्शित अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित सम्पूर्ण रक्तवा के बांध के डूब में समाहित होने के कारण इस अनुसूची के कालम (2) में दर्शित राजस्व ग्राम को, अस्तित्व में नहीं होने कारण, एतद् द्वारा, विलोपित करता हूं।

क्र.	राजस्य ग्राम को	ग्राम का कुल रकबा	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
ra V	(a)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
01	(2)	206.72	26	1111111	धमतरी	धमतरी